-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना तिन्दवारी क्षेत्र में वर्ष-2017 में पिता व सौतेले भाई को पेट्रोल डालकर जिन्दा जलाकर मारने वाले अभियुक्त को दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना तिन्दवारी क्षेत्र में पिता व सौतेले भाई को पेट्रोल डालकर जिन्दा जलाकर मारने वाले पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम भिंडौरा के रहने वाले विश्वनाथ प्रताप नें अपने पिता रामखेलावन सिंह व सौतेले भाई को दिनांक 29.09.2017 को मारपीट करते हुए पेट्रोल डालकर जिन्दा जला दिया जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी पूनम सिंह की तहरीर पर थाना तिन्दवारी पर मु0अ0सं0- 187/17 धारा 302/323/452/504 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालिन प्र0निरी0 प्रतिमा सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा अमित कुमार तथा पैरोकार आरक्षी मुकेश वर्मा के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र रामखेलावन निवासी भिंडौरा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।**